कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्यप्रदेश
कचनार, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2019

क्रमांक 1580-नग्रानि-जि.का.-2019-भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2019 द्वारा सूचित किया जाता है कि सीहोर निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान में भूमि उपयोग से संबंधित मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति आयुक्त, भोपाल संभाग, कलेक्टर जिला सीहोर, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये दिनांक 5 जुलाई 2019 से उपलब्ध है.

निवेश क्षेत्र अनुसार अनुसूची

1. **उत्तर**—ग्राम-बिजोरा, बिजोरी, राजूखेड़ी, जमुनियाकंला, थुनाखुर्द, थुनाकलॉं, लसुड़िया परिहार एवं जमनी उत्तरी सीमा तक.
2. **पूर्व**—ग्राम-थूनाकलॉं, लसुड़िया परिहार, जमनी, पाड़ली, बारवानखेड़ी, कुलासकलां, सिंकन्दरगंज, चौनपुरा, भान्देली, खुरानिया की पूर्व सीमा तक.
3. **दक्षिण**—ग्राम-गुड़भेला, हसनाबाद, डाबोटी, बामुलिया, सीहोर, सागोनी, बरखेड़ा, बजावत, इमलीखेड, गेरूखान, पाटनी, बिलकिसगंज, खुरानियां दक्षिणी सीमा तक.
4. **पश्चिम**—ग्राम-बिजौरा, अवन्तीपुरा, शिवपुरी, शाहपुर कोदिया, रफीकगंज, गुडभेला, हसनाबाद, डाबोटी की पश्चिमी सीमा तक.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.

क्रमांक 1580-नग्रानि-जि.का.-2019-भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2019 द्वारा सूचित किया जाता है कि भोपाल निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान में भूमि उपयोग से संबंधित मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति आयुक्त, भोपाल संभाग, कलेक्टर जिला भोपाल नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये दिनांक 5 जुलाई 2019 से उपलब्ध है.

निवेश क्षेत्र अनुसार अनुसूची

1. **उत्तर**—ग्राम-फंदा कलां, खोरी, बरखेड़ा, सालम, परवलिया सड़क, चंदु खेडी, कुराना, मनीखेड़ी कोट, रोजीबेग, राताताल, खजूरी, निपानिया जाट, खामखेड़ा, इमलिया एवं सूखी सेवांनिया की उत्तरी सीमा तक.
2. **पूर्व**—ग्राम-सूखी सेवांनिया, पिपलिया जाहिरपीर, अनन्तपुरा, शांतिनगर, आदमपुर छावनी, बिलखिरियाकलां, नरोन्हा सांकल (सांकल पडरिया), डगरौली, जमुनियाकलां, पिपलिया हटेला, नरेला बाज्याफत, बगरौदा, बंगरसिया पूर्व सीमा तक.
3. **दक्षिण**—ग्राम-खुर्चनी, आवंला, समसपुरा, बाबलीखेड़ा कालापानी, गोल, शोभापुरा जहिज, पंचामा, बन्दोरी, सुरैया नगर, खाड़ाबाद, कोटरा, खाड़ाबाद, पिपलयारानी, समरधा कलियासोत, दीपड़ी, बंगरसिया एवं बगरौदा दक्षिणी सीमा तक.
4. **पश्चिम**—ग्राम-परवलिया सड़क (शाहपुरा), भौंरी, बरखेड़ा सालम, खौरी, धमनियां, फंदाकलां, फदाखुर्द, हताईखेड़ी, सेस्टाखेड़ी, टीलाखेड़ी, कल्याणपुर, देहरियाकलां, खुरचनी एवं आमला की पश्चिमी सीमा तक.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.

सुनीता सिंह, संयुक्त संचालक.

Scanned by CamScanner